

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:ई-33/प्रयो0सहा0/(एफ-119)/सीधी भर्ती-2013/2018/ दिनांक:

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:ई-33/प्रयो0 सहा0/सीधी भर्ती-2013/2016/515 दिनांक 27.04.16 के अनारक्षित वर्ग के क्रम संख्या 26 पर अंकित श्री कुलदीप पुत्र श्री महेश चन्द को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर के अधीन किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर रिट संख्या 4658/2017 श्रीमती विष्णु देवी शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किये जाने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप श्री कुलदीप पुत्र श्री महेश चन्द के अनारक्षित वर्ग में अन्तिम कटऑफ से कम प्राप्तांक प्रतिशत होने के कारण प्रयोगशाला सहायक के पद पर सेवारत रहने के अयोग्य हो गये है।

अतः एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4658/2017 श्रीमती विष्णु देवी शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 की पालना में श्री कुलदीप पुत्र श्री महेश चन्द को उक्त वर्णित आदेश द्वारा प्रयोगशाला सहायक पद पर दी गई नियुक्ति को प्रत्याहारित करते हुये राज्य सेवा से तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जा रहे है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-33/प्रयो0सहा0/(एफ-119)/सीधी भर्ती-2013/2018/ 63) दिनांक: 27/11/18
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. उप निदेशक(प्रशा0) मुख्यालय एवं समन्वयक।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-भरतपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
11. श्री कुलदीप पुत्र श्री महेश चन्द, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा क्र.सं. 7 के।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।